प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

समक्ष : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा तथा

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश गण

प्रथम अपील क्रमांक 148/2008

अनिल सिंह

बनाम

श्रीमती खोलबहरिन बाई एवं अन्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश: मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

दिनांक: 14-10-2008 को सूचिबद्ध करें

हस्ताक्षर/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

समक्ष : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा तथा

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश गण

प्रथम अपील क्रमांक 148/2008

अपीलार्थी

वादी अनिल सिंह, पिता स्व. श्री बहोरन सिंह ठाकुर, आयु 42 वर्ष, निवासी तिलक नगर, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण

प्रतिवादीगण 1. श्रीमती खोलबहरीन बाई, पिता श्री दीनचरण सतनामी, आयु 70 वर्ष, पति तितरा सतनामी, निवासी दीहपारा, अमेरी, डाकघर मंगला, तहसील तख़तपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

बिलासपुर (छ.ग.)

<u>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के तहत प्रथम अपील।</u>

उपस्थित: -

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय एस. अग्रवाल।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल सहित श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री पी. आर. पाटनकर, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को उच्चारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **दिलीप रावसाहेब देशमुख,** न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया।

1. संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दायर वाद में असफल वादी हमारे समक्ष अपीलार्थी है।

2. अपीलार्थी /वादी ने अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 4-ए/2005 दायर किया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी द्वारा निष्पादित दिनांक

22-09-2004 के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद किया गया था, जिसके तहत उसने बिलासपुर के सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के समक्ष लंबित व्यवहार वाद और राजस्व न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही के अंतिम निर्णय के बाद ग्राम घुरु और अमेरी, पटवारी हल्का नंबर 24, राजस्व निगम मंडल साकरी, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर में स्थित 9.22 एकड़ क्षेत्र की भूमि में अपने अविभाजित 1/3 भाग को अपीलार्थी को 8 लाख रुपये के प्रतिफल के लिए बेचने पर सहमति व्यक्त की थी और संविदा की तारीख पर अपीलार्थी/वादी से 7 लाख रुपये नकद अग्रिम के रूप में प्राप्त किए थे। उक्त संविदा प्रदर्श पी-1 पर उत्तरवादी क्रमांक 1 के अंगूठे का निशान और अपीलार्थी /वादी के हस्ताक्षर थे और किशुन सिंह, वादी साक्षी-2 और विकास शुक्ला, वादी साक्षी-3 द्वारा अभिप्रमाणित किया गया था। संविदा के अपने भाग का पालन करने की तत्परता और रजामंदी का अभिवचन किया गया था। यह भी कहा गया था कि उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में व्यवहार वाद की समाप्ति के बाद, ग्राम घुरु और ग्राम अमेरी में उसकी 1/3 हिस्सेदारी को अलग कर दिया गया था और इस प्रकार ग्राम अमेरी स्थित भूमि खसरा नंबर 117/3 और 117/9 कुल क्षेत्र 2.04 एकड़ ग्राम घुरु और खसरा 72/1, 72/5 और 73/5, कुल 1 एकड़ को (इसके बाद 'वाद भूमि') उत्तरवादी क्रमांक 1 के नाम पर नामांतरण किया गया था। अपीलार्थी द्वारा बारंबार अनुरोध के बावजूद उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक 1 द्वारा इंकार करने पर, दिनांक 31-01-2005 को उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी को एक पंजीकृत नोटिस भेजा गया था और उसी दिन एक स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन किया गया था। पंजीकृत नोटिस को स्वीकार करने से उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा इंकार करने पर, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन और उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वाद भूमि को हस्तांतरण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की अनुतोष के लिए प्रार्थना करते हुए एक वाद संस्थित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी ने विशेष रूप से ग्राम घुरु और अमेरी में 9.22 एकड़ क्षेत्र की भूमि में अपनी अविभाजित 1/3 हिस्सेदारी को अपीलार्थी/वादी को बेचने के लिए संविदा किए जाने से इंकार कर दिया और यह भी विशेष रूप से इंकार कर दिया कि अग्रिम के रूप में 7 लाख रुपये की राशि उसके द्वारा प्राप्त की गई थी। यह विशेष रूप से कहा गया था कि अपीलार्थी/वादी ने, उसको कमजोर नज़र वाली अशिक्षित बूढ़ी महिला होने का फायदा उठाते हुए, और उसे अनुसूचित जाति का होना मानते हुए यह फर्जी इकरारनामा तैयार किया था।

4. इस अपील में निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं:-

(क) दिनांक 22-09-2004 के इकरारनामा प्रदर्श पी-1 के पीछे, स्टाम्प विक्रेता द्वारा एक पृष्ठांकन है कि इकरारनामा उत्तरवादी क्रमांक 1 के पुत्र लल्ला ने दिनांक 22-06-

2004 को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थी/वादी के पक्ष में बेचने के लिए एक अनुबंध निष्पादित करने के उद्देश्य से खरीदा गया था।

(ख) आशीष शुक्ला, अधिवक्ता जिन्होंने दिनांक 22-09-2004 का संविदा प्रारूप तैयार किया था, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही नहीं दी।

(ग) लल्ला, प्रतिवादी साक्षी-4, जो कि उत्तरवादी क्रमांक 1 का पुत्र है वह, अपीलार्थी/वादी के नौकर के रूप में काम करता है और भूखण्ड में रहता है।

(घ) उत्तरवादी क्रमांक 1 एक 70 वर्ष की अशिक्षित महिला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ङ) दिनांक 22-09-2004 को, उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास सिर्फ ग्राम घुरु और अमेरी में कुल 9.22 एकड़ भूमि का अविभाजित हिस्सेदारी था।

(च) दिनांक 22-09-2004 को, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II, बिलासपुर के समक्ष उपर्युक्त भूमि के विभाजन के लिए एक व्यवहार वाद और राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही लंबित थी।

5. स्वयं का परीक्षण कराए जाने से पहले, अपीलार्थी/वादी ने किशुन सिंह, वादी साक्षी-2, विकास शुक्ला, वादी साक्षी-3, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ डॉ. सुश्री सुनंदा ढेंगे, वादी साक्षी-4 और श्याम

कुमार वादी साक्षी-5 का परीक्षण कराया है। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने स्वयं का परीक्षण कराया है और बलराम, प्रतिवादी साक्षी-2, पुन्नीलाल, प्रतिवादी साक्षी-3, लल्ला प्रसाद, प्रतिवादी साक्षी-4 और बुधारी राम प्रतिवादी साक्षी-5 के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विद्वान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलार्थी/वादी के पक्ष में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा 8 लाख रुपये के प्रतिफल के लिए 7 लाख रुपये का अग्रिम प्राप्त करने के बाद वाद भूमि को बेचने के लिए संविदा का निष्पादन साबित नहीं हुआ क्योंकि यह अत्यधिक असंभव था कि अपीलार्थी/वादी ग्राम घुरु में उत्तरवादी क्रमांक 1 के अविभाजित हिस्से को खरीदने के लिए सहमत हो गया होगा और 7 लाख रुपये के विशाल हिस्से का प्रतिफल नकद में दिया होगा। इस आधार पर, अपीलार्थी/वादी को विनिर्दिष्ट पालन के लिए अनुतोष देने से इंकार कर दिया और वाद को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इस अपील में, आक्षेपित निर्णय और डिक्री को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है:

i. कि विचारण न्यायालय ने वादी को भूमि खरीदने के लिए तत्पर और रजामंद होने के बावजूद विनिर्दिष्ट पालन देने से इंकार करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया।

ii. कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष देने में गलती की है कि दिनांक 22-09-2004 को विक्रय के लिए संविदा का निष्पादन स्थापित नहीं किया गया है, यह विचार करने में चूक करते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी ने केवल इस आधार पर संविदा की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था कि उसने संविदा पर अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाया था, और अंत में

iii. कि यह साबित करने का संपूर्ण भार उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी पर था कि विक्रय के लिए संविदा प्रदर्श पी-1 एक फर्जी दस्तावेज था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने श्री संजय एस. अग्रवाल, अपीलार्थी/वादी के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री पी. आर. पाटनकर, उत्तरवादी क्रमांक 2/प्रतिवादी के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता की तर्कों को विस्तार से सुनी और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

8. स्वीकृत रुप से जिस स्टाम्प पर संविदा प्रदर्श पी-1 निष्पादित किया गया था, वह दिनांक 22-06-2004 को खरीदा गया था, जबकि संविदा दिनांक 22-09-2004 को निष्पादित किया गया था। अपीलार्थी/वादी ने कंडिका 15 में स्वीकार किया है कि पहली बार, उत्तरवादी क्रमांक

1/प्रतिवादी ने, संविदा की तारीख से लगभग दो महीने पहले, ग्राम घुरु में अपनी जमीन बेचने की इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 22-06-2004 को जब अपीलार्थी/वादी ने लल्ला, प्रतिवादी साक्षी-4 के माध्यम से स्टाम्प प्रदर्श पी-1 खरीदा था, तो उसे कोई जानकारी नहीं हो सकती थी कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ग्राम घुरु और अमेरी में अपनी अविभाजित हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार थी। अपीलार्थी/वादी की गवाही में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि स्टाम्प उत्तरवादी क्रमांक 1 के साथ बातचीत शुरू होने से बहुत पहले, यानी संविदा की तारीख से तीन महीने पहले कैसे खरीदा गया, जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी/वादी ने, एक अंतरस्थ हेतु, उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी के पुत्र लल्ला, प्रतिवादी साक्षी-4 के माध्यम से स्टाम्प खरीदा था, जो उसका नौकर था। यह भी अपीलार्थी/वादी द्वारा कंडिका 19 में स्वीकार किया गया है कि हालांकि उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी अपने बेटों के साथ ग्राम अमेरी में रहती थी, उसने कभी भी उसके बेटों से जमीन खरीदने के बारे में बात नहीं की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक संविदा प्रदर्श पी-1 के निष्पादन का संबंध है, अभिप्रमाणन साक्षी किशुन सिंह, वादी साक्षी-2 ने कंडिका 6 में स्वीकार किया कि दस्तावेज प्रदर्श पी-1 उसकी उपस्थिति में नहीं लिखा गया था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दस्तावेज किसने और कहाँ लिखा था।

यह अपीलार्थी/वादी के मामले में एक गंभीर सेंध भी बनाता है, जो दिनांक 22-09-2004 को उत्तरवादी क्रमांक 1 के अविभाजित हिस्से को खरीदने के लिए सहमत नहीं होता, जब यह अज्ञात था कि कौन सी जमीन उसके हिस्से में आएगी और व्यवहार न्यायालय में मुकदमा और राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही कब समाप्त होगी। यह भी मानना मुश्किल है कि अपीलार्थी /वादी के पास अपने निवास पर 7 लाख रुपये नकद थे। ऐसा कोई भी साक्ष्य यह प्रमाणित नहीं करता कि उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी, जो एक अशिक्षित महिला थी, ने भी किसी बैंक में राशि जमा कर दी थी। यदि 7 लाख रुपये की राशि उत्तरवादी क्रमांक 1 को दी गई होती, तो वह एक बुज़ुर्ग अशिक्षित महिला, 70 वर्ष की आयु की, इतनी बड़ी राशि अपने घर पर नहीं रखती। यह प्रमाणित करने के लिए भी कुछ नहीं है कि संविदा के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी ने 7 लाख रुपये मूल्य की कोई कीमती संपत्ति खरीदी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. किशुन सिंह, वादी साक्षी-2 अपीलार्थी/वादी के ससुर एक अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। अपनी गवाही के कंडिका 8 में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपीलार्थी/वादी और उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी के बीच भूमि की बिक्री या उनके दामाद द्वारा खरीदी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के बारे में किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंडिका 9 में, उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता था कि संविदा प्रदर्श पी-1 के निष्पादन के लिए स्टाम्प कौन लाया था।

11. अनुप्रमाणक साक्षी विकास शुक्ला, वादी साक्षी-3 के अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि जब वह अपीलार्थी/वादी के घर पहुंचा, तो अपीलार्थी स्टाम्प लाने गया था। बाद में, उन्होंने कहा कि लल्ला, वादी साक्षी-4 अकेले स्टाम्प लाने गया था और 15-20 मिनट के भीतर वापस आ गया था। उनकी गवाही से यह आभास होता है कि लल्ला दिनांक 22-09-2004 को स्टाम्प खरीदने गया था। कंडिका 6 में, उन्होंने कहा है कि आशीष शुक्ला, एक अधिवक्ता ने, जिला न्यायालय परिसर में एक प्रारूप संविदा तैयार किया था जिसे वे डाकघर के पास टाइपिंग संस्थान ले गए थे। आशीष शुक्ला का परीक्षण अपीलार्थी/वादी द्वारा नहीं कराया गया है। विकास शुक्ला, वादी साक्षी-3 ने आगे स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं पता था कि संविदा किसने टाइप किया था। कंडिका 5 में, विकास शुक्ला वादी साक्षी-3 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने और अपीलार्थी/वादी ने एक साथ विधि की परीक्षा पास किया था और उनके मित्रतापूर्ण संबंध थे और उसे तारीख या वर्ष याद नहीं था जब उन्होंने एक गवाह के रूप में संविदा पर हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह भी ध्यान देने योग्य है कि वाद के कंडिका 2 में, अपीलार्थी/वादी द्वारा विशेष रूप से यह अभिवचन किया था कि उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी ने बिलासपुर के सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के समक्ष लंबित वाद के निर्णय और उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में राजस्व

न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही की समाप्ति के बाद ही अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इस प्रकार, विक्रय विलेख का निष्पादन एक भविष्य की घटना पर निर्भर था, यानी, बिलासपुर के सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के समक्ष लंबित एक व्यवहार वाद में उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निर्णय और उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही की समाप्ति। अपीलार्थी/वादी को कोई जानकारी नहीं हो सकती थी कि क्या वाद और कार्यवाही उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में समाप्त होगी और कब। इसलिए, यह अति अनधिसंभाव्य था बल्कि असंभव था कि अपीलार्थी/वादी ने 7 लाख रुपये का एक विशाल हिस्सा प्रतिफल दिया होगा और वह भी संविदा की तारीख पर नकद में। पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि संविदा प्रदर्श पी-1 से बेईमानी की बू आती है। इस संभावना को कि लल्ला, उत्तरवादी क्रमांक 1 के पुत्र के साथ वैश्वासिक संबंध का लाभ उठाते हुए, अपीलार्थी /वादी ने लल्ला के माध्यम से स्टाम्प खरीदा और संविदा पर उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी के अंगूठे का निशान लगवाया, से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हालांकि डॉ. सुश्री सुनंदा ढेंगे, वादी साक्षी-4 ने संविदा प्रदर्श पी-1 पर उत्तरवादी क्रमांक 1 के अंगूठे के निशान को साबित कर दिया है, विद्वान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय यह मानने में सही था कि संविदा के लिए पक्षकारों के बीच कोई सहमति नहीं थी।

13. यह भी अविवादित है कि उक्त संविदा प्रदर्श पी-1 अपीलार्थी /वादी के घर में निष्पादित किया गया था। लल्ला, प्रतिवादी साक्षी-4 ने आदेश 22 नियम 4 के तहत अपने शपथपत्र में कहा है कि अपीलार्थी/वादी ने दिनांक 22-06-2004 को अपने नाम पर स्टाम्प खरीदा था और उस दिन एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायालय के समक्ष लंबित था। उन्होंने आगे गवाही दी है कि उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी एक अशिक्षित महिला थी, जो ठीक से 100 रुपये भी नहीं गिन सकती थी और 7 लाख रुपये की राशि कभी भी अपीलार्थी /वादी द्वारा उसकी मां को नहीं दी गई थी और उत्तरवादी क्रमांक 1 ने कभी भी अपीलार्थी/वादी को वाद भूमि बेचने के लिए सहमति नहीं दी थी। अपीलार्थी/वादी ने उसके प्रति-परीक्षण के दौरान उसकी गवाही में कोई खण्डन नहीं करा पाया है। इस संभावना को कि अपीलार्थी/वादी, जिसका लल्ला, प्रतिवादी साक्षी-4 के साथ एक वैश्वासिक संबंध था, जो उसके नौकर के रूप में काम कर रहा था, ने एक अंतरस्थ हेतु उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी-खोलबहरिन बाई का अंगूठे का निशान संविदा प्रदर्श पी-1 पर लगाया था, से इंकार नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अपीलार्थी /वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उत्तरवादी क्रमांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1/प्रतिवादी ने ग्राम घुरु और अमेरी में अपनी अविभाजित हिस्सेदारी बेचने के लिए सहमति दी थी, वह इस प्रकार त्रुटिहीन है।

14. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 निम्नानुसार है: -

20. विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री करने के संबंध में विवेक-

1) विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री करने की अधिकारिता विवेकाधीन है, और केवल इसलिए कि ऐसा करना कानूनी है, न्यायालय ऐसे अनुतोष देने के लिए बाध्य नहीं है; लेकिन न्यायालय का विवेक मनमाना नहीं है, बल्कि सही और उचित है, न्यायिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और अपील न्यायालय द्वारा सुधार के योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) निम्नलिखित मामले हैं जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री न करने के लिए विवेक का उचित रूप से प्रयोग कर सकता है: -

(क) जहां संविदा की शर्तें या संविदा में प्रवेश करने के समय पक्षकारों का आचरण या अन्य परिस्थितियां जिनके तहत संविदा में प्रवेश किया गया था, ऐसी हैं कि संविदा, हालांकि शून्य नहीं है, वादी को प्रतिवादी पर एक अनुचित लाभ देता है;

या

(ख) जहां संविदा का पालन प्रतिवादी पर कुछ कठिनाई पेश करेगा जिसे उसने पूर्वानुमान नहीं लगाया था, जबकि इसका गैर-पालन वादी पर ऐसी कोई कठिनाई पेश नहीं करेगा; या

(ग) जहां प्रतिवादी ने ऐसी परिस्थितियों में संविदा में प्रवेश किया जो हालांकि संविदा को शून्य नहीं करती हैं, लेकिन विनिर्दिष्ट पालन को लागू करना असामयिक बनाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण **1:-** केवल प्रतिफल की अपर्याप्तता, या केवल यह तथ्य कि संविदा प्रतिवादी के लिए दुर्भर या अपनी प्रकृति में अदूरदर्शी है, को खंड (क) के अर्थ में एक अनुचित लाभ या खंड (ख) के अर्थ में कठिनाई नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण **2:-** यह प्रश्न कि क्या किसी संविदा का प्रदर्शन खंड (ख) के अर्थ में प्रतिवादी पर कठिनाई को पेश करेगा, सिवाय उन मामलों के जहां कठिनाई संविदा के बाद वादी के किसी भी कार्य से हुई है, संविदा के समय मौजूद परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

3) न्यायालय किसी भी मामले में विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री करने के लिए विवेक का उचित रूप से प्रयोग कर सकता है जहां वादी ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए सक्षम संविदा के परिणामस्वरूप पर्याप्त कार्य किए हैं या नुकसान झेला है।

4) न्यायालय किसी भी पक्षकार को केवल इस आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से इंकार नहीं करेगा कि संविदा पक्षकार के आग्रह पर लागू करने योग्य नहीं है।

15. ए. सी. अरुलप्पन बनाम श्रीमती अहल्या नाइक, **2001** ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. **3046** में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विनिर्दिष्ट अनुतोष को डिक्री प्रदान करने की अधिकारिता विवेकाधीन है और न्यायालय यह निर्णय करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों पर विचार कर सकता है कि क्या ऐसी अनुतोष दी जानी है। केवल इसलिए कि विनिर्दिष्ट अनुतोष देना वैध है, न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए आदेश देने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन इस विवेक का मनमानी या अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(2) में कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि किन परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे विवेक का प्रयोग करेगा। यदि संविदा की शर्तों के तहत वादी को प्रतिवादी पर एक अनुचित लाभ मिलता है, तो न्यायालय वादी के पक्ष में अपना विवेक

का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्रतिवादी को अनुचित कठिनाई होगी जिसे उसने संविदा के समय पूर्वानुमान नहीं लगाया था, तो विनिर्दिष्ट अनुतोष नहीं दी जा सकती है। यदि विनिर्दिष्ट अनुतोष देना असामयिक है, तो भी न्यायालय वादी को एक डिक्री देने से प्रविरत होगा।

ए. सी. अरुलप्पन बनाम श्रीमती अहल्या नाइक (उपरोक्त), उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अवधारित किया: -

15. विनिर्दिष्ट पालन देना एक न्यायसंगत अनुतोष है, हालांकि वही अब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित है। ये न्यायसंगत सिद्धांत अधिनियम की धारा 20 में अच्छी तरह से शामिल हैं। विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक डिक्री देते समय, ये हितकर दिशानिर्देश न्यायालय के दिमाग में सबसे आगे होंगे। विचारण न्यायालय, जिसे साक्ष्य दर्ज करने और गवाहों के व्यवहार को देखने का अतिरिक्त लाभ था, ने सुसंगत तथ्यों पर विचार किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अपील न्यायालय को इन तथ्यों की उपेक्षा करके उस निर्णय को उलट नहीं देना चाहिए था और, हमारे विचार में, अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में गंभीर रूप से त्रुटी की। इसलिए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हम संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी **(**मृत**)** द्वारा विधिक प्रतिनिधि रिपोर्ट **2001 (3)** सुप्रीम कोर्ट केसेस **179** में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत से भी अवगत हैं कि प्रथम अपील न्यायालय को इस तथ्य के बारे में सचेत रहना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचे गए विरोधाभासी साक्ष्य पर आधारित तथ्य के निष्कर्षों को अपील न्यायालय के साथ तौलना चाहिए, और भी अधिक जब निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए मौखिक साक्ष्य पर आधारित होते हैं जो निर्णय लिखते हैं और जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन तात्विक अनियमितता से ग्रस्त नहीं होता है या अग्राह्य साक्ष्य पर या अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं होता है, तो अपील न्यायालय को तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए, अपील में सफल होने के लिए अपीलार्थी को अभिलेख से यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन तात्विक अनियमितता से ग्रस्त है या अग्राह्य साक्ष्य पर या अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। हमारे विचार में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य, के मूल्यांकन करने पर, हम आश्वस्त हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से इंकार करना विधि द्वारा उसमें निहित विवेक का एक सही प्रयोग है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. हम इस प्रकार इस अपील को गुणानुगुण रहित पाते हैं जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-
धीरेंद्र मिश्रा	दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMAN DESHMUKH